निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-114/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ के माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं रवि भूषण लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.11.2017 से 06.12.2017 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है जिसमें राजस्व हेतु माह ....से............ तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – सहस्त्र धारा रोड़ एवं राजपुर रोड़ के पुर्व का क्षेत्र।
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	-
2015-16	733.93
2016-17	2256.49

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	-	-	65.52	60.25	-	5.27
2015-16	-	-	-	-	81.16	76.54	-	4.62
2016-17	-	-	-	-	135.49	102.57	-	32.92

है:(₹ लाख में)

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में तहसील- पिथौरागढ़, धारचूला, मुन्सयारी, दीदीहाट, गंगोलीहाट एवं मण्डल कार्यालय टनकपुर के समस्त क्षेत्र को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....03/2016, 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ....03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'अ'

प्रस्तर संख्या–01 <u>कर का अनारोपण रू0–16.05 लाख</u>

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) राज्य कर पिथौरागढ़ लेखापरीक्षा अवधि माह 09/2015 से माह 03/2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि सर्वश्री मनीश कंस्ट्रक्षन, ठेकेदार, टकाना, पिथौरागढ टिन सं 005005574809 एक पंजीकृत व्यौहारी है। व्यौहारी के वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण वाद कों धारा 7(2) के अन्तर्गत निस्तारित करते हुये समाधान **राशि** रु0 544328.00 निर्धारित की गयी थी। व्यौहारी की कर निर्धारण पत्रावली व गोपनीय पत्रावली की जॉच मे पाया गया कि व्यौहारी द्वारा निम्नलिखित **वर्षो** में **मशीनरी**व अन्य संयत्र की खरीद स्वयं के उपयोग में **दर्शायी** गयी–

क्र सं0	करनिर्धारण वर्श	आयातित माल जो व्यौहारी स्वयं के उपयोग मेंलाया गया	समग्री का मूल्य(रु)में
1.	2005–06	कम्प्रेसर **मशीन** (52000+113982)	रु.165982.00
2.	2006–07	**मशीन**	रु.76438.00
3.	2007–08	जे0सी0बी0	रु.1833232.00
4.	2013–14	सटरिंगप्लेट व स्टील सटरिंग पोल	रु.1133686.00
		योग	रु.32099338.00

उपरोक्त आयातित **मशीनरी** रु.32099338.00 को न तो व्यौहारी की **आडिट रिपोर्ट** में **दर्शाया** गया और न ही इसकी बिक्री दिखायी गयी।

अतएव व्यौहारी की बैलेन्स **शीट** में उक्त **मशीनरी** का अन्तिम **अवशेष** न **दर्शाया** जाना यह सिद्व करता है कि उक्त **मशीनरी** की बिक्री कर दी गयी। फलतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2013 की अनुसूची दो ''ख'' की प्रविश्टि 138 के अनुसार पॉच प्रति**शत** की दर से कर रु.1604966.90 (32099338*5%) आरोपणीय होना था, जो कि अनारोपित रह गया।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 की पूर्व में लेखा परीक्षा हो चुकी है एवं तीनों वर्षो के बाद कालावर्धित भी हो चुके हैं। जहां तक वर्ष 2013–14 में रू0–1133686.00 के सटरिंग प्लेट व स्टील स्टरिंग पोल का कय किया गया है। यह माल चूंकि सिविल संविदा में प्रयोजनार्थ है। अतः आपत्ति **निक्षेप योग्य है।**

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण 2007–08 में कहा गया है कि आयातित मशीन व्यापारी के फिक्स एसेट्स खाते में जाएगा तथा भविष्य में इसकी बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा। निर्माण फर्म मशीनरी का उपयोग कर सकती है किन्तु हस्तान्तरण नहीं तथा बिक्री पर कर देय होगा।

अतः बिक्रीत मशीनरी पर अनारोपित कर रू0–1604966.00 की वसूली नहीं किये जाने का प्रकरण विभाग/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 'ब'

प्रस्तर सं0–01

अनियमित आई.टी.सी. एवं अर्थदण्ड का अनारोपण रू–97254.00

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसूची द्वितीय एवं क्रमांक संख्या–75 एवं 81 पर अंकित वस्तु हार्डवेयर एवं जी0आई0 पाइप एवं फिटिंग की कर दर 5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अध्याय–8 की धारा–58 की उपधारा (xi) में इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है। तो पांच हजार रूपये का दावाकृत धनराशि का तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) वाणिज्य कर विभाग पिथौरागढ़ के व्यापारी सर्वश्री के0के0इण्टरप्राइजेज एचौली पिथौरागढ़ टिन स0–05011335445 संगत वर्ष 2013–14 में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत क्रय रजिस्टर में क्रय की गयी सामग्री हार्डवेयर एवं जी0आई0 पाईप एवं फिटिंग को 13.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 का क्लेम रू–51485.00 किया गया है जबकि उक्त राशि पर 5प्रतिशत की दर से रू0–19067.00 का क्लेम किया जाना चाहिए था। इसलिए व्यापारी द्वारा गलत आई0टी0सी0 रू0–32418.00(51485.00–19067.00) वापसी योग्य है और उक्त राशि पर नियमानुसार अर्थदण्ड रू0–64836.00 की भी वसूली योग्य है। **(संलग्नक के अनुसार)**

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार जांचोपरान्त कार्यवाही करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

अतः गलत आई0टी0सी0 एवं अर्थदण्ड की राशि रू0–97254.00 की वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ''ब''

प्रस्तर सं0–02 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति रू0–14270

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ के माह 09–2015 से 03–2017 तक के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया है कि व्यापारी सर्वश्री उपाध्याय सीमेंट हाउस टनकपुर कर निर्धारण वर्ष–2013–14 अधिनियम की धारा 25(7) दिनांक 27.04.2016 की कर निर्धारण पत्रावली में पाया गया कि व्यापारी की खरीद एवं बिक्री में नियमानुसार अन्तर था ।

आरम्भिक रहतियां सीमेन्ट रू0	**348942.00**
खरीद सीमेन्ट रू0–	**15813294.00**
योग–	**16162236.00**
अन्तिम रहतियां–	**(–) 186709.00**
(वास्तविक बिक्री)–	**15975527.00**
कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री	**(–) 15869822.00**
अन्तर–	**105704.00**

उक्त अन्तर की राशि रू0–105704 पर 13.05 प्रतिशत की दर से कर रू0–14270.00 (105704X13.5प्रतिशत) आरोपणीय है एवं कर जमा तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगी।

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः वर्ष 2013–14 में सीमेंट बिक्री में अन्तर के कारण रू0–14270.00 पर कम कर लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ''ब''

प्रस्तर सं0–03

विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड रू0–9536.00

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–58 की उपधारा (VII) के अनुसार देयकर बिना किसी कारण के विलम्ब से जमा करने पर देयकर का काम–से–कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक–से–अधिक 25प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये तक हो और देयकर 50 प्रतिशत दस हजार रूपये अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ के माह 09–2015 से 03–2017 तक के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया है कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा विलम्ब से देय कर का चालान जमा किया है जिनके विवरण निम्नवत् है।

क.सं0	**व्यापारी का नाम एवं पता**	**कर निर्धारण वर्ष**	**देय दिनांक**	**जमा दिनांक**	**धनराशि (रूपये में)**	**अर्थदण्ड(रू)10 प्रतिशत**
1.	सर्वश्री हरि दत्त राय चम्पावत	2014–15	द्वितीय तिमाही	18.12.2014	50363.00	5063
2.	सर्वश्री कपिल इन्टरप्राइजेज टनकपुर	2013–14	द्वितीय तिमाही	04.02.2014	45000.00	4500
कुल योग					**95363.00**	**9536**

उक्त व्यापारियों द्वारा अपने जमा कर विलम्ब से जमा करने के कारण जमा राशि 95363.00 **पर** 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड रू0–9536.00 वसूली योग्य है।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

अतः विलम्ब जमा कर पर अर्थदण्ड रू0–9536.00 की वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	नई ईकाई शून्य	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	ठा0 रणवीर सिंह	डिप्टी (क0नि0) पिथौरागढ़	27.09.15 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र